दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 21-07-2025

हाई कोर्ट • खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के एचओडी पर आरोप

छात्रा पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव एफआईआर रद्द करने याचिका हुई खारिज

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के थियेटर विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष पर पूर्व छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए लगाई गई याचिका खारिज कर दी है। छात्रा ने 29 मार्च 2025 को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि प्रोफेसर ने परीक्षा फॉर्म और फीस में सहायता के बदले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला।

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के थियेटर विभाग में वर्ष 2018-19 में पढ़ाई कर चुकी छात्रा कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन और मां के निधन के बाद आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। जब उसने अपनी फीस और परीक्षा फॉर्म के संबंध में प्रोफेसर और एचओडी डॉ. योगेंद्र चौबे से जानकारी मांगी। इस पर उन्होंने शाम को घर आकर बात करने और रात बिताने की शर्त रखी। इनकार करने पर प्रोफेसर ने कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणी, डांट-फटकार और मिलने का दबाव डालते हुए उसे मानसिक रूप से परेशान किया। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह मानसिक उपचार के लिए दिल्ली में थी, उसी दौरान प्रोफेसर ने एक होटल में बुलाकर दोबारा शारीरिक संबंध का प्रस्ताव रखा और हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। हालांकि, वह किसी तरह वहां से बच निकली। शिकायत पर पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D, 506, 509 और एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1)(V)(A) एवं 3(1)(B) के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद स्पेशल जज एट्रोसिटी के कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। प्रोफेसर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें एफआईआर रद्द करने की मांग की। तर्क दिया कि शिकायत तीन साल बाद दर्ज की गई और आरोप जातिगत दुर्भावना से प्रेरित हैं। उन्होंने इसे करियर खत्म करने की साजिश बताया। वहीं, राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की गई है। हाई कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, इस आधार पर हाई कोर्ट ने थाने में ए फआईआर, चार्जशीट और कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी।